न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 26/2019 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2019/00241

अपीलांट :– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

1. रतनसिंह पुत्र स्व. मांगीलाल जाति गुर्जर, निवासी पाती हाल ठिकाना–42 बेकेटेश मार्ग पाली तहसील व जिला पाली
2. भैरूसिंह पुत्र स्व. मांगीलाल, जाति गुर्जर, निवासी पाती हाल ठिकाना–21 अम्बेडकर नगर पाली तहसील व जिला पाली
3. भवानीसिंह पुत्र स्व. मांगीलाल, जाति गुर्जर, निवासी पाती हाल ठिकाना–21 अम्बेडकर नगर, पाली तहसील व जिला पाली
4. जब्बरसिंह पुत्र स्व. मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी पाती, हाल ठिकाना–79 अम्बेडकर नगर, पाली तहसील व जिला पाली

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रोहट, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना उपस्थित
रेस्पोडेंट की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 15.03.2021

वकील अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 661 दिनांक 10.09.1998 जो समस्या समाधान शिविर 1998 केम्प चेण्डा द्वारा स्वीकृत किया गया है उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई है जो म्याद बाहर होने से subject to limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा मूल नामान्तरकरण संख्या 661 तहसील रोहट से तलब कर बहस सुनी गई।

वकील अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि मौजा पाती, प.ह. पाती, तहसील रोहट के खसरा नम्बर 147/2 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी सोयम खसरा नम्बर 253 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 254 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा किस्म सेवज सोयम एवं खसरा नम्बर 409 रकबा 2 बीघा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा कृषि भुमि स्थित है जो अपीलाण्टगण की सहखातेदारी भूमि है जिसमें 1/2 हिस्से के खातेदार अपीलार्थीगण के पिता मांगिया उर्फ मांगीलाल कालु जी गुर्जर को 1/2 हिस्से में पेमा पुत्र कालुजी 1/2 हिस्से में रूघा पुत्र देवा गुर्जर थे जमाबंदी संवत 2052 से 55 एवं संवत 2072 से 2075 सलंग्न पत्रावली की गई है अपीलाण्टगण के पिता की मृत्यु दिनांक 8.9.1997 को हो गई तथा अपीलाण्ट गण जिवित संतान थे उस वक्त अपीलाण्ट गण पाली मे खाने कमाने हेतु रहते थे। इसलिए अपीलाण्टगण को चेण्डा में केम्प होने बाबत किसी प्रकार का नोटिस नही दिया गया न सुना गया। तथा उनकी अनुपस्थिति में नामान्तरकरण संख्या 661 भरकर दिनांक 10.09.1998 के केम्प चेण्डा मे स्वीकृत किया था। तथा चेण्डा उनका पैतृक गावं नही होने से उन्हे कोई जानता ही नही था। मात्र प.ह. पाती द्वारा अपनी जानकारी से अपीलाटंगण के गांव मे उनके बोलचाल के नाम रतनाराम, भेराराम, भव[illegible] जबराराम अंकित करते हुए बतौर मांगीलाल उर्फ मांगिया के विधिक [illegible] स्वीकृत करा दिया गया जबकि अप्रार्थीगण का जन्म राजे[illegible] जहां गुर्जर समाज के [illegible] अपने नाम के साथ सिंह लगाते है तथा उनके नाम भी उसी [illegible]र रतनसिंह, भेरसिंह, [illegible], एवं जब्बरसिंह पुत्रगण मांगीलालजी अंकित करावें। जो सही [illegible] प.ह. द्वारा गलत नाम उपरोक्तानुसार बोलचाल के ही दर्ज कर दिए अपीलार्थी के सही नाम रतनसिंह भैरूसिंह, भवानीसिंह एवं जबरसिंह है अपने नाम सही होने बाबत साक्ष्य स्वरूप कुछ दस्तावेज की फोटो प्रतिया यथा आधारकार्ड, परिवारकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:22:20 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

जन्म प्रमाण पत्र व बैंक पासबुक आदि पेश किए गए तथा निवेदन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त फरमाने के आदेश जारी करावें। तथा अपीलार्थी के सही नाम नामान्तरकरण भरा जाने हेतु तह. रोहट को आदेश प्रदान करावे।

नामान्तरकरण गलत होने की प्रथम बार जानकारी 18.07.2019 को भूमि विकास बैंक से लोन हेतु प.ह. से जमाबंदी की नकल लेने जाने पर प.ह. ने गलत नामों का इन्द्राज होना बताया तथा 31.07.19 को वकील से सलाह मसवरा लेकर नकले प्राप्त कर अपील इस न्यायालय में दिनांक 1.8.19 को पेश की जो जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमावें। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने वक्त बहस न्यायिक दृष्टांत आरआरडी मार्च 2002 पेज III आरआरडी 1994 पेज 312 एवं आरआरडी 1994 पेज 215 प्रस्तुत किए।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण चेण्डा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर समस्या समाधान शिविर मे उपस्थित आमजन को पूछा जाकर मजमे आम मे सजरा बनाकर नामान्तरकरण भरा गया था जो नामान्तरकरण के पीछे दर्ज है यह अपील 21 वर्ष बाद पेश की गई जो स्पष्ट रूप से म्याद बाहर होने से खारिज फरमाई जावें।

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया नामान्तरकरण संख्या 661 का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया अपीलार्थी बचपन से ही जालोर मे रहे बाद मे पाली मे रहे इस कारण से पंचायत चेण्डा हेड क्वाटर पर आयोजित शिविर में सही नाम से पहचानने वाले नही होने से जैर अपील नामान्तरकरण बोलचाल के नामों से मोंगिया के वारिसान के नाम स्वीकृत किया गया प्रतीत होता है इससे जाहिर है कि नामान्तरकरण भरने से पूर्व मोंगिया के वारिसान की जाचं नही की गई तथा अपीलांटगण को बिना सुने ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जिससे उनके हक अधिकार प्रभावित हुए है इसलिए काश्तकारों के हितों के मध्यनजर जैर अपील नामान्तरकरण में प्रक्रिया का विधिवत पालन नही होने से अपील जानकारी से अन्दर म्याद शुमार की जाती है। एवं गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा जैर अपील नामान्तरकरण का भी अवलोकन किया गया अपीलार्थी अपने उक्त खसरा नम्बर सम्बधी खाता जिसमें खसरा नम्बर 147/2 रकबा 13.05 बीघा खसरा नम्बर 253 रकबा 4.10 बीघा खसरा नम्बर 254 रकबा 7.18 बीघा तथा खसरा नम्बर 409 रकबा 2.00 बीघा संवत 2060–2063 की जमाबन्दी में दर्ज थे। जिसकी प्रति पत्रावली सलंग्न है। तथा इसी खाते की वर्ष 2064–2067 की जमाबंदी में मात्र एक ही खसरा नम्बर 147/2 दर्ज रहा। अन्य खसरा नम्बर 253,254, एवं 409 जमाबन्दी से हटाने बाबत अपीलाण्ट स्वय को पूछने पर उन्होने बेचान करना बताया इस बेचाण को अपीलार्थी द्वारा छिपाया गया इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण स्वच्छ हाथो से न्यायालय के समक्ष नही आया है। अपीलार्थी से पुछने पर उन्होने उक्त खसरों का अन्य को बेचान किया जाना बताया। अन्य को उक्त खसरा नम्बरान के किए गये बेचाण में अपीलार्थी के नाम भेराराम रतनाराम भवराराम जबराराम पि0 मॉगिया ही दर्ज थे। स्पष्ट है कि जैर अपील नामान्तरकरण के बाद किए गए बेचाण में अपीलाण्टगण अपने दर्ज नामों को ही सही मानकर किया है तो नामान्तरकरण में दर्ज नाम गलत किस प्रकार हो सकते है तथा अगर नामान्तरकरण को निरस्त कर नाम संशोधन हेतु प्रतिप्रेषित भी कर दिया जाता है। तो सन 1998 में भरे गए जैर अपील नामान्तरकरण से पूर्व की स्थिति बहाल होगी नाम संशोधन बाद में अपीलार्थीगण जिसके नाम भैरूसिंह, रतनसिंह, भंवरसिंह व जब्बरसिंह दर्ज करते ही उसके पश्चातवृति हुआ अन्तरण शुन्य हो जायेगा तथा उसके बाद के अन्य क्रेतागण प्रभावित होगे। इससे वाद बाहुल्यता बढेगी। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है अपीलाण्ट अपने नाम में संशोधन हेतु अन्य विधि सम्मत कार्यवाही के जरिये चाराजोही कर सकता है। एवं इस अपील के जरिये अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। एवं जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 661 दिनांक 10.09.1998 ग्राम पाती तहसील रोहट को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:22:20 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली